न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर
पीठासीन अधिकारी– डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या–71/2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल संख्या–2021/100

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गनाहेड़ा, पुष्कर, अजमेर (राज0)		1. मैसर्स सांवरिया ऑयल मिल (अ)–देवगढ़ रोड़, ग्राम–थांवला, तहसील–रियांबड़ी जिला–नागौर (राज.) (ब)–पंजीकृत कार्यालय : केयर ऑफ शंकर दूध डेयरी, वीआईपी रोड़ के बाहर, पुष्कर, जिला–अजमेर (राज.) 2. श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री विश्राम कुमावत (पार्टनर व गारन्टर) (अ)–देवगढ़ रोड़, ग्राम–थांवला, तहसील–रियांबड़ी जिला–नागौर (राज.) (ब)–पंजीकृत कार्यालय : केयर ऑफ शंकर दूध डेयरी, वीआईपी रोड़ के बाहर, पुष्कर, जिला–अजमेर (राज.) (स)–आसन बाड़ा, पोस्ट–राताडूंगा, तहसील–रियांबड़ी, जिला नागौर (राज.) (द)–191, ग्राम–सिरोला बेड़ा, पोस्ट–राता धूनहडा, तहसील–देगाना, जिला नागौर 3. श्रीमती छोटी देवी पत्नी श्री रूपाराम जाट (पार्टनर व गारन्टर) (अ)–देवगढ़ रोड़, ग्राम–थांवला, तहसील–रियांबड़ी जिला–नागौर (राज.) (ब)–पंजीकृत कार्यालय : केयर ऑफ शंकर दूध डेयरी, वीआईपी रोड़ के बाहर, पुष्कर, जिला–अजमेर (राज.) (द)–1129 बंध्या बेड़ा, ग्राम व पोस्ट– थांवला, तहसील–रियांबडी जिला नागौर

आदेश **दिनांकः–** 03/08/2021

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ ऋणी को टर्म लोन खाते में 27,00,000/–**(अक्षरे सत्ताईस लाख रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 30.01.2014 एवं केश केडिट लिमिट लोन खाते में 10,00,000/–(अक्षरे दस लाख रुपये मात्र) रूपये ऋण सुविधा दिनांक 05.11.2015** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– खसरा नम्बर ...., ग्राम–थांवला, तहसील–रियांबड़ी, जिला नागौर (राज.) स्थित औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित सम्पति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1369.92वर्गमीटर) तथा मैसर्स सांवरिया ऑयल मिल का हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक ऑफ कैटल फीड, रॉ मेटेरियल, वर्क–इन प्रोसेस, ऑल टाईप ऑफ गुड्स जैसे सेमी–फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स, आउटस्टैन्डिग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्टस, सिक्योरिटीज, प्लान्ट एण्ड**

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:34:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फीचर एण्ड फिटिंग्स इत्यादि। पूर्व में–खसरा नम्बर 1590 की भूमि, पश्चिम में–खसरा नम्बर 1591/1 की भूमि, उत्तर में–रोड़, दक्षिण में– कृषि भूमि जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 31.03.2021** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में टर्म लोन खाते में **रूपये 2,50,630.46/–(अक्षरे दो लाख पचास हजार छः सौ तीस रूपये छींयालीस पैसे मात्र) एवं** केस केडिट लिमिट लोन खाते में **रूपये 10,38,935/–(अक्षरे दस लाख अड़तीस हजार नो सौ पेंतीस रूपये मात्र) इस प्रकार दोनों लोन खाते में रूपये 12,89,565.46/–(अक्षरे बारह लाख नवासी हजार पांच सौ पेंसठ रूपये छींयालीस पैस मात्र) दिनांक 28.02.2021 तक ब्याज शामिल करते हुए व इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 09.04.2021** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये इसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण, टर्म लोन खाते में **रूपये 2,50,630.46/–(अक्षरे दो लाख पचास हजार छः सौ तीस रूपये छींयालीस पैसे मात्र)** एवं केस केडिट लिमिट लोन खाते में **रूपये 10,38,935/–(अक्षरे दस लाख अड़तीस हजार नो सौ पेंतीस रूपये मात्र) इस प्रकार दोनों लोन खाते में रूपये 12,89,565.46/–(अक्षरे बारह लाख नवासी हजार पांच सौ पेंसठ रूपये छींयालीस पैस मात्र) दिनांक 28.02.2021 तक ब्याज शामिल करते हुए व इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे सहित राशि** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :– **सम्पति खसरा नम्बर 1591/2, ग्राम–थांवला, तहसील–रियांबड़ी, जिला नागौर (राज.) स्थित औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित सम्पति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1369.92वर्गमीटर) तथा मैसर्स सांवरिया ऑयल मिल का हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॅाक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक ऑफ कैटल फीड, रॉ–मैटेरियल, वर्क–इन प्रोसेस, ऑल टाईप ऑफ गुड्स जैसे सेमी–फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स,** आउटस्टैन्डिग, रिसीवेबल, **ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्टस, सिक्योरिटीज, प्लान्ट एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स,** स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज **एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फीचर एण्ड फिटिंग्स इत्यादि। पूर्व में–खसरा नम्बर 1590 की भूमि, पश्चिम में–खसरा नम्बर 1591/1 की भूमि, उत्तर में–रोड़, दक्षिण में– कृषि भूमि,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से टर्म लोन खाते में **27,00,000/–(अक्षरे सत्ताईस लाख रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 30.01.2014** एवं केस क्रेडिट लिमिट लोन **खाते में 10,00,000/–(अक्षरे दस लाख रुपये मात्र) रूपये ऋण सुविधा दिनांक 0[illegible]201[illegible]** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आर्डिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:34:06 IST
Reason: SelfAttested

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति खसरा नम्बर 1591/2, ग्राम–थांवला, तहसील–रियांबड़ी, जिला नागौर (राज.) स्थित औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित सम्पति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1369.92वर्गमीटर) तथा मैसर्स सांवरिया ऑयल मिल का हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक ऑफ कैटल फीड, रॉ–मैटेरियल, वर्क–इन प्रोसेस, ऑल टाईप ऑफ गुड्स जैसे सेमी–फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स, आउटस्टैन्डिग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्टस, सिक्योरिटीज, प्लान्ट एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फीचर एण्ड फिटिंग्स इत्यादि। पूर्व में–खसरा नम्बर 1590 की भूमि, पश्चिम में–खसरा नम्बर 1591/1 की भूमि, उत्तर में–रोड़, दक्षिण में– कृषि भूमि"**, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने के संबंध में विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आदेश सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:34:06 IST
Reason: SelfAttested